प्रेषक,

अजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 03 अगस्त, 2022

विषय:- जिला कारागार, आगरा में बैरक के मध्य पार्टीशनवाल का गेट सहित निर्माण की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23655/नम-1/2020-21/आगरा पार्टीशनवाल, दिनांक-20.07.2022 एवं प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-14/2021/1089/22-4-2021-48(18)/2020, दिनांक-03.02.2021 एवं शासनादेश संख्या-52/2022/263/22-4-2022-48(18)/2020, दिनांक-24.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश दिनांक-03.02.2021 द्वारा जिला कारागार, आगरा में बैरक के मध्य पार्टीशनवाल का गेट सहित निर्माण हेतु रू0 33.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि रू0 6.60 लाख एवं शासनादेश दिनांक-24.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि रू0 16.595 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया जिला कारागार, आगरा में बैरक के मध्य पार्टीशनवाल का गेट सहित निर्माण के कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत निर्माण की मूल स्वीकृत लागत रू0 33.19 लाख के सापेक्ष अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 9,99,500/-(रूपया नौ लाख निन्यानवे हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय, वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कर लिया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(7) प्रश्नंगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-03.02.2021 एवं 24.03.222 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,99,500 (रुपये नौ लाख निन्यानवे हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्यों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

संख्या-99 /2022/ 1157/001-22-4-2022-48-18-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, आगरा।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 ।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11)गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।